भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या – *39

सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को उत्तर दिए जाने के लिए

राज्यों के लिए एक समान गारंटीशुदा उच्चतम सीमा

***39. प्रो. सौगत राय:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी समूह ने राज्यों के लिए एक समान गारंटीशुदा उच्चतम सीमा की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सभी राज्यों के लिए गारंटी के आंकड़े प्रकाशित करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) राज्यों द्वारा गारंटी की सीमा को अंतिम रूप देने के लिए क्या मानदंड तय/निर्धारित किए गए हैं; और
(घ) राज्य गांरटीशुदा उच्चतम सीमा लगाने का उद्देश्य क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ):एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'राज्यों के लिए एक समान गारंटीशुदा सीमा' के संबंध में प्रोफेसर सौगत राय द्वारा 5 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए उठाए गए लोकसभा मौखिक प्रश्न संख्या *39 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) जी हाँ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गठित राज्य सरकार गारंटी संबंधी कार्य समूह ने एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटी के लिए राजस्व प्राप्तियों का 5 प्रतिशत या जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, की अधिकतम सीमा की सिफारिश की है।

(ख) भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसंबर, 2010 को भारत का राजपत्र अधिसूचना (सरकारों द्वारा दी गई गारंटी: प्रकटीकरण आवश्यकताएं) जारी की थी, जिसके लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारों के वित्तीय विवरण नोट्स में गारंटियों के वर्ग या क्षेत्र से संबंधित विवरणों को प्रकट किया जाएगा जैसे तय की गई सीमा, गारंटी मोचन निधि के बारे में जानकारी, गारंटी का विवरण आदि।

(ग) भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली अतिरिक्त गारंटी के लिए जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की सीमा तय की है। इसी प्रकार, कार्यकारी समूह ने राज्य सरकार द्वारा दी गई वृद्धिशील गारंटी पर एक सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया है।

(घ) गारंटी, जब भी लागू की जाती है, राज्य सरकारों पर महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव पैदा करती है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गारंटी देते समय विवेक और चयनात्मकता बरतें, और इसलिए, वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटी की राशि पर एक सीमा तय करे ।

*****